राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार बीदासर

प्रकरण संख्या 02/19 दायरा दिनांक 31.05.2019

पीठासीन अधिकारी
श्री अमीलाल यादव
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

पटवारी पटवार मण्डल ढाणी कालेरां
प्रार्थी..................

बनाम

हेमादेवी पत्नी ईमरताराम जाति जाट निवासी ढाणी कालेरां
अप्रार्थी..............

<u>निर्णय</u> दिनांक 24.06.2019

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ढाणी कालेरां ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थिनी हेमादेवी पत्नी श्री ईमरताराम जाति जाट निवासी ढाणी कालेरां ने अपनी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 228, 223 में से होकर गुजरने वाले गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 203 में से 132 वर्ग फुट भूमि को बाड़ लगाकर बंद किया हुआ है। जिससे आमजन का आवागमन बंद हो गया है तथा अप्रार्थिनी ने नाजायज रास्ते को रोक कर अतिक्रमण कर लिया है। अप्रार्थिनी को धारा 91 एल आर एक्ट के अंतर्गत नोटिस जारी किया गया। नीयत तारीख पेशी दिनांक 07.06.2019 थी परंतु उक्त दिनांक तक अप्रार्थिनी को नोटिस तामिल नहीं हो सके अतः पुनः तारीख 14.06.2019 रखी गई। अप्रार्थिनी को दिनांक 14.06.2019 को ही नोटिस तामिल हुए इसलिए अप्रार्थिनी को अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 18.06.2019 तारीख नीयत की गई परंतु उक्त तारीख को अप्रार्थिनी अनुपस्थित। अप्रार्थिनी दिनांक 18.06.2019 को अनुपस्थित होने के कारण अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए अंतिम अवसर दिया जाकर दिनांक 21.06.2019 को जवाब प्रस्तुत करने की तारीख नीयत की गई। नीयत तारीख 21.06.2019 को अप्रार्थिनी ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस प्रस्तुत किया जिसमें बताया कि मेरे खेत में रास्ता चालू है। मैंने सरकारी कटाणी रास्ता पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया है और न ही कटाणी रास्ता को बंद किया है। इसलिए पुनः पटवारी रिपोर्ट ली गई। जिसमें पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पूर्व रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ता आज भी बंद ही है।

पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली में पटवारी हल्का ढाणी कालेरां की रिपोर्ट से स्पष्ट साबित है कि अप्रार्थिनी हेमादेवी पत्नी ईमरताराम जाति जाट निवासी ढाणी कालेरा ने खसरा नम्बर 203 किस्म गैर मुमकिन रास्ता के दोनों तरफ बाड़ लगाकर 132 वर्ग फुट रास्ते को बंद कर दिया है, जिसके कारण आमजन का आवागमन बंद हो गया है। आमजन के आवागमन हेतु उक्त रास्ते को खुलवाया जाना अति आवश्यक है। अतः अप्रार्थिनी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। भू0अ0 निरीक्षक बीदासर को आदेशित किया जाता है कि आप अतिक्रमी को भौतिक रूप बेदखल करते हुए रास्ता खुलवाया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें तथा पटवारी हल्का ढाणी कालेरां को आदेशित किया जाता है कि आप अप्रार्थिनी से शरह पड़ता लगान ग्राम ढाणी कालेरां 00.50 रू प्रति बीघा की दर का 50 गुणा राशि अतिक्रमित भूमि 132 वर्ग फुट की राशि 05/— पांच रूपया वसूल करें तथा तहसील राजस्व लेखाकार मांग कायमी करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 24.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय की मोहर से जारी किया गया एवं सरे इजलास सुनाया गया। निर्णय शामिल पत्रावली रहें।

(अमीलाल यादव)
आरटीएस
तहसीलदार बीदासर

उक्त मांग कायमी रा.ले. 4 के पृष्ठ संख्या 03
पर कर ली गई है।
तहसील राजस्व लेखाकार